<u>उत्तर क्षेत्रीय समिति,</u>
<u>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,</u>
<u>जयपुर</u>

एतद् द्वारा उन सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है जिन्होंने 1 मार्च, 2015 से 31 मई, 2015, तक जिसको 30 जून, 2015 तक बढ़ाया गया था अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु आवेदन किया था। इस क्रम में उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय को 6004 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर विनियम, 2014 के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्रों पर राज्य सरकारों की टिप्पणियाँ/आख्यायें मंगायी जा रही हैं, जिसके लिये 90 दिन का समय तय किया गया है (शुरूआत में 45 दिन, तत्पश्चात् 30 दिन तथा पुनः 15 दिन (स्मरण पत्र भेजने हेतु)।

2. अतः विनियम, 2014 में तय किये गये प्रावधानानुसार लगभग अक्टूबर माह के मध्य तक निरीक्षण कराये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ होगी। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार, टेलीफोन वार्ता या स्पष्टीकरण जब तक आवश्यक न हो न करें तथा उपरोक्त समय सीमा तक आप प्रतीक्षा करें।

3. पत्रावली को जल्दी प्रोसेस कराने के लिये, निरीक्षण कराने के लिये, शीघ्र मान्यता दिलाने आदि के नाम पर कार्यालय के लोगों के नाम का प्रयोग करते हुए कुछ बाहरी असमाजिक तत्त्व टेलीफोन पर आवेदक संस्थानों के प्रतिनिधियों से बात करने के उदाहरण प्राप्त हुये हैं, इस सम्बन्ध में आपको स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा कोई भी टेलीफोन कॉल आदि किये जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अतः आप सावधानी बरतें एवं किसी भी व्यक्ति की बहकावे में ना आयें।

आदेशानुसार

24/8/15

(डॉ. एस. के. चौहान)
क्षेत्रीय निदेशक,
उत्तर क्षेत्रीय समिति